5.11.24 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर हस्ताक्षर किया गया। निर्णय
खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया।

पत्रावली तकमील ज. से
क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर
हो।

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 2 / 2021

तारीख दायरा 03.02.2021

उनवान

बृत्या उर्फ मोहनलाल पुत्र प्रताप जाति नायक निवासी ग्राम लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र बद्रीलाल जाति मीना,
2. रामचन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति मीना,
3. सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल जाति मीना,
4. कल्याणीबाई पत्नी स्व० बद्रीलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. सुलोचना पुत्री बद्रीलाल पत्नी राकेश जाति मीना निवासी ग्राम खेलखेडी पोस्ट छीपाबडोद तहसील छीपाबडोद जिला बारां।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थी)

दिनांक :— 05/11/2024

श्री उद्वल मीणा (वकील अप्रार्थी सं.1 ता 5)

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद ... कोटा

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में अन्य खसरा नम्बर के साथ साथ खसरा न0 160 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 161 की 0.98 हेक्टर, खसरा न0 172 की 0.85 हेक्टर, खसरा न0 173 की 0.73 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के समीप अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की ग्राम लबानिया में ही खसरा न0 159 की 0.76 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जिसके समीप खसरा नं० 395 की भूमि स्थित है, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज होकर गैर मुमकिन सडक के रूप में स्थित है।

प्रार्थी अपने खाते व कब्जे की उक्त वर्णित कृषि भूमि में हमेशा से अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 5 के खाते व कब्जे की खसरा न0 159 की 0.76 हेक्टर में होकर आता जाता रहा है। प्रारम्भ में प्रार्थी खसरा न0 159 की भूमि में मध्य में होकर अपने खाते की भूमि में आया गया है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के कहने पर लगातार खसरा न0159 की 0.76 हेक्टर उत्तरी मेड के समीप से अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से सुखाधिकार के रूप में कर रहा है। पिछले कुछ माह से अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 प्रार्थी को उसके खेत पर आने जाने के लिए खसरा न0 159 की भूमि में उत्तरी मेड के समीप स्थित भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में मना करने लगे है, जिसकी वजह से प्रार्थी को उसके स्वयं के खाते व कब्जे की कृषि भूमियों के उपयोग उपभोग में बाधा आने लगी है तथा उक्त रास्ता बाधित होने की स्थिति में प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।

प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानों के अनुसार खसरा न0 159 की 0.76 हेक्टर भूमि में उत्तरी मेड के समीप स्थित 60 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बाई तथा 12 फुट उत्तर से दक्षिण चौडाई के रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि भी अप्रार्थीगण को अदा करने को तत्पर है, किन्तु अप्रार्थीगण फिर भी उक्त रास्ते को बहाल करने को तैयार नहीं है तथा लगातार बाधित करने को आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल हो गये, तो प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का भली प्रकार उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगा, जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में भी नहीं हो पायेगी। प्रार्थी के पास उसकी स्वयं की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता कभी भी मौजूद नहीं रहा है, प्रार्थी को उक्त रास्ते की महति आवश्यकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में प्रार्थी के खाते व कब्जे की खसरा न0 160 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 161 की 0.98 हेक्टर, खसरा न0 172 की 0.85 हेक्टर, खसरा न0 173 की 0.73 हेक्टर कृषि भूमि में पहुंचने के लिए ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

लबानिया तहसील सांगोद में स्थित अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की खसरा न0 159 की 0.76 हेक्टर भूमि में उत्तरी मेड के समीप 60 फुट पूर्व पश्चिम लम्बाई तथा 12 फुट उत्तर दक्षिण चौडाई की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज की जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि जो भी विधि के अनुरूप बनती है, को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 को आदेशित किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी को उक्त रास्ते की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाने का प्रयास नहीं करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री उद्वल मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख.न. 173 पर पहुंचने का कोई रास्ता दर्ज नहीं है और ना ही मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। ख.न. 173 में पहुंचने का सबसे नजदीकी रास्ता ख.न. 159 एवं 174 की मध्य की मेड से ही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते का क्षेत्रफल कुल 144 वर्ग मीटर (लम्बाई 36 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर) है। उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 1092791 प्रति हैक्टेयर है।

इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। दौराने बहस प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया।

मेरे द्वारा बहस उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब सरकार, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की आराजी ख.न. 173 पर पहुँच हेतु रेकार्डेड अथवा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश प्रदान किए जाते हैं कि –

माल ग्राम लबानिया पटवार क्षेत्र लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा में प्रार्थी के खाते व कब्जे की खसरा न0 160 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 161 की 0.98 हेक्टर, खसरा न0 172 की 0.85 हेक्टर, खसरा न0 173 की 0.73 हेक्टर कृषि भूमि में पहुंचने के लिए ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

लखोनिया तहसील सांगोद में स्थित अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की खसरा न0 159 की 0.76 हेक्टर भूमि में उत्तरी मेड के समीप 36 मीटर पूर्व पश्चिम लम्बाई तथा 4 मीटर उत्तर दक्षिण चौडाई की भूमि कुल 144 वर्ग मीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे। ख0स0 159 के रास्ते हेतु दी गई भूमि 144 वर्ग मीटर के एवज में प्रार्थी की आराजी ख.न. 173 रकबा 0.73 है. भूमि की पूर्वी दिशा में से 144 वर्ग मीटर भूमि अप्रार्थीगण के खाते दर्ज की जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी एवं रास्ते हेतु दर्ज भूमि पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(रामावतार मीणा)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner